




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Chuli Kalan[1202], Hisar
 Head Master GHS-Chuli Kalan[1202], Hisar
 Head Master GHS-Chuli Kalan[1202], Hisar
 Head Master GGHS-Puthi Saman[1362], Hisar

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 364
 दिनांक पंचकुला 01-09-2021

विषय **Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Chuli Kalan (Hisar) [1202]	Repair of rooms with verandah	1112000.00
2 GHS Chuli Kalan (Hisar) [1202]	Construction of toilet set, water tank and stair	970000.00
3 GHS Chuli Kalan (Hisar) [1202]	Repair of rooms with verandah	1197000.00
4 GGHS Puthi Saman (Hisar) [1362]	Prayer shed, corrugated sheet and iron stresses	1478000.00
	कुल राशि	4757000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 2.9.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS-Naraingarh[31], Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुला 01-09-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1. GGSSS Naraingarh (Ambala) [31]	Repair of tile tressing and flouring	720000.00
	कुल राशि	720000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 2.9.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Faridpur[1934], Karnal

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकुलां 01-09-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Faridpur (Karnal) [1934]	Construction of 3 ACR with verandah	1845000.00
	कुल राशि	1845000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- २-९-२०२१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjay Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS-Farmana[2711], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक पंचकूला 01-09-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Farmana (Rohtak) [2711]	Construction of cycle stand, toilet set and water tank	1912000.00
	कुल राशि	1912000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला- 2-9-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Sector 26, Panchkula, Panchkula
Principal GSSS-Kalka [3697], Panchkula

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1)
दिनांक पंचकूला 01-09-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS-Sector 26, Panchkula	Completion of kitchen /store	87000.00
2 GSSS-Kalka [3697], Panchkula	Repair of room with veranda and toilet set	1616000.00
	कुल राशि	1703000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42-/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 2-9-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकुला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS-Gohana[3458], Sonipat
Principal GGSSS-Gohana[3458], Sonipat
Principal GSSS-Mundlana[3567], Sonipat
Principal GSSS-Mundlana[3567], Sonipat

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 365
दिनांक पंचकुला 01-09-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशाल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Gohana (Sonipat) [3458]	Inter locking tile and Construction of B/wall	1964000.00
2 GGSSS Gohana (Sonipat) [3458]	Construction of kitchen shed	604000.00
3 GSSS Mundlana (Sonipat) [3567]	Construction of prayer ground shed	1478000.00
4 GSSS Mundlana (Sonipat) [3567]	Construction of cycle stand	1648000.00
	कुल राशि	5694000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 2.9.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- ✓ 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

2/9/2021
Aardkell

Sanku Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/131-2021 PGT-IV (2) Dated, Panchkula, the 01.09.2021

Smt. Sushma Kumari, PGT-Biology, GSSS, Golagarh, Bhiwani is hereby granted child care leave from 01.09.2021 to 06.11.2021 (67 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46(2) of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 1.9.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Bhiwani vide their letter No. E-2/2021/6273, dated 18.08.2021.
2. Principal, GSSS, Golagarh, Bhiwani.
3. Smt. Sushma Kumari, PGT-Biology, GSSS, Golagarh, Bhiwani.
- ✓ 4. I.T Cell for uploading the orders on website of Directorate.

u/ges
1.9.21
**Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula** *2*

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/91-2021 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula, the 19.08.2021

Smt, Renu, PGT-Maths, GSSS, Dhalanwas, Jhajjar is hereby granted child care leave from 19.08.2021 to 29.09.2021 (42 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the (1.9.2)

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Jhajjar vide their letter No. E-2/2021/2417, dated 30.06.2021.
2. Principal, GSSS, Dhalanwas, Jhajjar.
3. Smt. Renu, PGT-Maths, GSSS, Dhalanwas, Jhajjar.
4. I.T Cell for uploading the orders on website of Directorate..

**Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/118-2021 PGT-IV (2)

Dated, Panchkula 25.08.2021

Smt. Archana Rao, PGT Biology, Govt. Girls Sr. Sec. School, Rewari is hereby granted child care leave w.e.f. 25.08.2021 to 20.11.2021 **(88 days)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 1.9.21


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari w.r.t their letter No. E-2/2021/641/1790 dated 10.08.2021.
2. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Rewari.
3. Smt. Archana Rao, PGT Biology, Govt. Girls Sr. Sec. School, Rewari.
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.

UJL
1.9.21
**Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 12/54-2018 PGT-II (5)

Dated, Panchkula the 19.08.2021

Permission is hereby granted to **Smt. Navneet Kaur, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Bhoona, District Fatehabad** to change the option from fixed medical allowance to open reimbursement of medical expenses for the outdoor treatment of chronic disease **w.e.f. 12.05.2021** in terms of Haryana Government instructions issued time to time on the following conditions:-

1. That he/she will not be entitled to the fixed medical allowances w.e.f. 12.05.2021. After the date of change of option the allowances, if received, will have to be deposited in Government treasury.
2. The medical certificate will be reviewed after a period of five years from the date of issue i.e. 08.6.2021.
3. The reimbursement will be made only for eighteen chronic diseases which have been declared by the Haryana Government.

J. GANESAN, I.A.S.
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED PANCHKULA, THE 01-09-2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Fatehabad** w.r.t. his/her Memo No. A-II-2021/original/9028 dated 22.07.2021.
2. Concerned Treasury Officer.
3. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bhoona, District Fatehabad.
4. Smt. Navneet Kaur, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Bhoona, District Fatehabad.
5. IT Cell (Local).

Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula



OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Order No. 10/20-2021 HRG-I (3)

Dated, Panchkula, the 20.08.2021

In exercise of the provisions of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016 under rule 65 Sanction is hereby accorded to the payment of Cash Equivalent to Leave salary for 300 days **(Three Hundred days only)** in lieu of Earned Leave to the Credit of Sh. Dalip Singh, (Retd.) District Elementary Education Officer, Kaithal retired from the Government Service on 31.05.2021.

This further subject to the condition that Drawing and Disbursement Officer concerned will ensure that the amount of Honorarium if paid to this officer for attending training camps etc. during Summer Vacations may adjust out of the amount of Leave Encashment to be paid to his.

**J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 11/9/2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


Regd.

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Elementary Education Officer, Kaithal.
3. Treasury Officer, Kaithal.
4. Sh. Dalip Singh, (Retd.) District Elementary Education Officer, Kaithal.
5. IT Cell (Local).

Neelan
**SUPERINTENDENT HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**
n



**HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**



Order No. 2/148-2021 HRG-I (3)

Dated: 24.08.2021

In terms of Punjab Civil Services Rules Volume-II Rule 5.32B, Sh. Harmail Singh, Principal, GGSSS Kalanwali (Sirsa) w.r.t his notice dated 16.04.2021 for voluntary retirement from Govt. service after putting more than 29 years qualifying service is hereby allowed to retire voluntarily from Govt. service with effect from 31.07.2021.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

**Endst. No. Even
Regd.**

Dated, Panchkula, the 01-9-2021


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Sirsa w.r.t their memo No. E-2/2021/5469 dated 22.06.2021. The service book of the officer is returned herewith.
3. Sh. Harmail Singh, Principal, GGSSS Kalanwali (Sirsa)
4. A separate copy for uploading the orders on MIS portal.
5. I.T. Cell (Local).

Neelan
**SUPERINTENDENT HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**



**GOVERNMENT OF HARYANA
SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT**



ORDER

No. 22/53-2021 HRG-I(2)

DATED, CHANDIGARH 01.09.2021

Smt. Krishna Phogat [058169], Deputy District Education Officer office of District Education Office, Rohtak is hereby given the charge of District Project Coordinator, Rohtak with immediate effect by withdrawing the same from Smt. Asha Dahiya, Dy. DEO O/o DEO Rohtak.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS,
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT HARYANA,
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO 22/53-2021 HRG-I(2)

DATED, PANCHKULA 02.09.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Rohtak.
3. Treasury officer concerned.
4. Secy/OSD/CM.
5. Secy/ACSSE, PS/DSE.
6. Smt. Krishna Phogat [058169], Deputy DEO O/o DEO Rohtak.
7. Smt. Asha Dahiya [037098], Deputy DEO O/o DEO Rohtak.
8. PA/SPD/HSSPP.
- ✓ 9. IT Cell.

Neelam
**SUPERINTENDENT HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

ORDER

NO. 13/14-2021 PGT-III (9)

Dated, Chandigarh, the, 01.09.2021

Sh. Prem Kumar [088383], PGT in English, Govt. Girls High School, Bhawdin, District Sirsa (2898) is hereby transferred at Govt. Sr. Sec. School, Bawal, District Rewari (2516) against vacant post on administrative grounds.

**DR. MAHAVIR SINGH
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH.**

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA,
PANCHKULA**

ENDST. NO. Even

DATED, PANCHKULA, THE, 01/09/2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. The District Education Officer, Sirsa.
3. The District Education Officer, Rewari.
4. The Treasury Officer, Sirsa and Rewari.
5. PS/ACSSE
6. PS/DSE
7. The Principal/Headmaster, Govt. Girls High School, Bhawdin, District Sirsa.
8. The Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bawal, District Rewari.
9. Sh. Prem Kumar, PGT in English, GGHS Bhawdin, District Sirsa.
- ✓ 10. I.T.Cell.
11. Office record.

u.g.
1.9.21
**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA** *@*

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 20/1-2018 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula 26.08.2021

Smt. Pooja Kumari, PGT Maths, Govt. Sr. Sec. School, Jatwar (Ambala) is hereby granted child care leave w.e.f. 26.08.2021 to 18.11.2021 **(85 days)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 27.8.2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Ambala w.r.t their letter No. E-2/2021/1146(A) dated 13.08.2021.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Jatwar (Ambala).
3. Smt. Pooja Kumari, PGT Maths, Govt. Sr. Sec. School, Jatwar (Ambala).
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.

u.ges
27.8.21
**Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula** *2*